न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

रा0प्र0क्र0 /   / निगरानी / अ–6 / 2012–2013

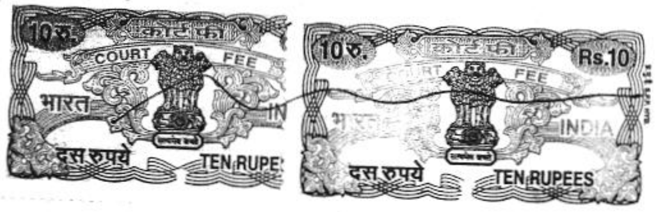

R-1669-III/13

श्रीमती केतकीबाई धर्मपत्नी रामदयाल गुप्ता नि0 ग्राम पो0 गिरूईबड़ी थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 ....**निगरानीकर्ता / आवेदिका**

बनाम्

1.श्रीमती सतुलिया धर्मपत्नी विनोद कुमार जयसवाल
2.मदनलाल पिता बेनीमाधव जयसवाल
दोनो निवासी ग्राम पो0 जयसिंहनगर थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0
....................**गैरनिगराकारगण / अनावेदकगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भू रा0 सं0 1959
निगरानी निर्णय विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 / 61 / निगरानी / अ–6 / 2011–2012 निर्णय दिनांक 31.01.2013 से व्यथित होकर

मान्यवर,

निगरानी पेश कर विनय है कि–

1. यह कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जयसिंहनगर, प0ह0 एवं तह0 जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि नंबर 493 / 1 रकबा 0.006हे0 भूमि को गैरनिगराकार क्र0–1 व्दारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.03.1998 पी–1 से टिर्रा पिता रामकुमार ढीमर नि0 जयसिंहनगर से क्रय की थी। वर्णित भूमि से लगी दक्षिण दिशा की ओर विनोद कुमार के भूमि स्वामी स्वत्व अधिपत्य की भूमि स्थित है जिसमे उत्तरी दिशा की ओर विनोद कुमार के भूमि स्वामी स्वत्व अधिपत्य की भूमि स्थित है। जिसमे उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम 20 फिट यानी 0.02 डिस0 भूमि का विवाद सिविल न्याया0 जयसिंहनगर मे विजय कुमार जयसवाल के साथ प्रचलित है।

2. यह कि गैरनिगराकार क्र0–1 अपने पट्टे की भूमि नंबर 493 / 1 रकबा 0.006हे0 भूमि के अंश भाग 0.003 हे0 भूमि तथा गैरनिगराकार क्र0–1 का पति विनोद कुमार जयसवाल अपने भूमि स्वामी हक की ग्राम जयसिंहनगर स्थित भूमि नंबर 493 / 3 ख रकबा 0.026हे0 का जुज 150 वर्गफिट भूमि मे स्थित तीन कमरे का गाटर चीप से बना मकान जिसकी दीवाल क्रेक हो गई थी, के विक्रय का अनुबंध पति–पत्नी निगरानीकर्ता के साथ किये। जिसके पृष्ठ क्र0–4 के पैरा–3 मे दस हजार वर्ग फिट से अनुबंधित भूमि कम होने के कारण जिला प्रशासन व्दारा विक्रय पत्र मे रोक लगाये जाने से

//2//......पर

(322)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

...रण क्रमांक **R–1669-III/13** जिला–शहडोल

केतकी बाई/सतुलिया जयसवाल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 61/निगरानी/अ6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	